न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 08/2017

प्रार्थी :–

1. ओमप्रकाश पुत्र खेताराम
   जाति–जाट, निवासी–झाड़ेली, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. देवाराम पुत्र रामकरण
   जातियान–जाट निवासीगण–रामपुरा–बी, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा अप्रार्थीगण 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 252 रकबा 37.06 बीघा मौजा झाड़ेली तहसील जायल की सरहद में आया हुआ है। उक्त खेत के चिपते ही दक्षिण की तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 251 रकबा 6.10 बीघा वाके सरहद मौजा रामपुरा ब पटवार हल्का झाड़ेली स्थित है तथा खसरा नं. 251 के दक्षिण की तरफ ग्राम झाड़ेली से मुन्दियाऊ जाने वाली कटाणी सड़क स्थित है। मौका स्थिति का नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 252 में आने जाने का कोई कटाणी रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी हमेशा से ही झाड़ेली से मुन्दियाऊ जाने वाली सड़क से फंटकर आवेदन के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये प्रस्तावित रास्ते से ही अपने खेत में आता जाता रहा है तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर ट्रोली ले जाता है काश्त कृषण करता है एवं यह ही प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक

09/02/2021
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

रास्ता नहीं है। प्रार्थी के आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा न. 251 में से जिसे प्रस्तावित रास्ते के रूप में लाल स्याही से नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है को कटाण घोषित हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं.0 252 में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार 20 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा ने वकालातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। जिसकी की प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से दिनांक 28.12.2017 के प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी ओमप्रकाश के नाम से ग्राम झाड़ेली में खेत खसरा नं 252 रकाब 37.16 बीघा भूमि है जो कि मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डेह में मुर्तहीन है तथा अप्रार्थी देवाराम की खेत खसरा नं. 251 रकबा 6.10 बीघा भूमि है जो आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा नागौर के नाम मुर्तहीन दर्ज है। तहसीलदार जायल ने रिपोर्ट बताया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के खेत के मध्य में से रास्ते की मांग की है, न की खेत की माठ पर से की है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 92 फीट है। खेत खसरा नं. 251 के पश्चिमी माठ पर कदीमी रास्ता चालू है जिसकी लम्बाई 12 फीट है तथा चौड़ाई 20 फीट है। ग्राम रामपुरा बी की डी.एल.सी. दर 27500/– रू. प्रति बीघा है। खेत खसरा नं. 251 के पश्चिमी माठ पर कदीमी रास्ता का रकबा 0.05 बीघा के लगभग बनता है। प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर अनुसार राशि 41250/– रू. बनती है। अन्ततः तहसीलदार जायल ने प्रार्थी के प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी के खेत के मध्य (मार्क ए से बी) तथा मौके पर एक अन्य कदीमी रास्ता (मार्क सी.से डी.) चालू व उपलब्ध होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया।

09/07/2021

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में बताया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी कदीमी रास्ते से अपने खेत में आना जाना तथा आवश्यक संसाधन इत्यादि लाता व ले जाता है। धारा 251 आर.टी.एक्ट में कदीमी रास्ता को सुखाचार के आने वाले रास्ते को घोषित नहीं करवाया जा सकता। इन रास्तो हेतु तहसीलदार जायल से पटवारी हल्का के माध्यम से ही रास्ते हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने का भी कही भी कथन नहीं किया है ऐसी सुरत में धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है जो स्वतः ही खारिज योग्य है। धारा 251क के अधीन रास्ता बंद किया होने पर कदीमी रास्ता नहीं होने पर व सुखाचार का रास्ता नहीं होने पर लागु होता है। चालु रास्ता कदीमी रास्ता व सुखाचार के रास्तो में धारा 251क आर.टी.एक्ट लागु नहीं होता। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी ने जो कदीमी रास्ता व सुखाचार के अनुसार रास्ता बताया है वे रास्ता 20 खेतो तक लम्बा जाने वाला रास्ता है। इस बाबत् श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थी सहित 20 व्यक्तियों ने अपने खेतो में कदीमी रास्ते को कटाण घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे साबित है कि उक्त रास्ता कदीमी रास्ता, सुखाचार के तहत रास्ता है जो तहसीलदार जायल के मार्फत श्रीमान के समक्ष पेश होना चाहिऐ। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संबंध में अतिरिक्त उजरात पेश किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त कदीमी व सुखाचार के तहत आये हुये रास्ते को अप्रार्थी द्वारा बंद करने व प्रार्थी को जाने से मना करने का कही भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार प्रार्थी व अन्य 20 काश्तकारो ने उक्त कदीमी रास्ता व सुखाचार के तहत आये हुये रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित करवाने हेतु आवेदन कर रखा है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली जाना आवश्यक है जिससे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। वकील अप्रार्थी ने अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणी नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट खारिज किया जावे।

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो कि दिनांक 28.12.2017 को प्राप्त होकर सामिल मिसल है उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाए

09/02/2021
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 252 रकबा 37.06 बीघा मौजा झाड़ेली तहसील जायल की सरहद में आया हुआ है। उक्त खेत के चिपते ही दक्षिण की तरफ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 251 रकबा 6.10 बीघा वाके सरहद मौजा रामपुरा ब पटवार हल्का झाड़ेली स्थित है तथा खसरा नं. 251 के दक्षिण की तरफ ग्राम झाड़ेली से मुन्दियाऊ जाने वाली कटाणी सड़क स्थित है। मौका स्थिति का नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 252 में आने जाने का कोई कटाणी रास्ता नहीं है एवं प्रार्थी हमेशा से ही झाड़ेली से मुन्दियाऊ जाने वाली सड़क से फंटकर आवेदन के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये प्रस्तावित रास्ते से ही अपने खेत में आता जाता रहा है तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर ट्रोली ले जाता है काश्त कृषण करता है एवं यह ही प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई प्रार्थी के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी के आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा न. 251 में से जिसे प्रस्तावित रास्ते के रूप में लाल स्याही से नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है को कटाण घोषित हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं.0 252 में प्रवेश हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा कृषि कार्य के लिए आने जाने तथा आवश्यक कृषि संसाधन यथा–ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने पर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जिसे माफिक नजरी नक्शानुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने में सहमत है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में बताया कि प्रार्थी का यह कहना गलत है कि प्रार्थी के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी कदीमी रास्ते से अपने खेत में आना जाना तथा आवश्यक संसाधन इत्यादि लाता व ले जाता है। धारा 251 आर.टी.एक्ट में कदीमी रास्ता को सुखाचार के आने वाले रास्ते को घोषित नहीं करवाया जा सकता। इन रास्तो हेतु तहसीलदार जायल से पटवारी हल्का के माध्यम से ही रास्ते हेतु आवेदन किया जा सकता है।

09/01/2024

सहायक कलक्टर
उप. डी. ओ.) जायल (नागौर)

इसी प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने का भी कही भी कथन नहीं किया है ऐसी सुरत में धारा 251क आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है जो स्वतः ही खारिज योग्य है। धारा 251क के अधीन रास्ता बंद किया होने पर कदीमी रास्ता नहीं होने पर व सुखाचार का रास्ता नहीं होने पर लागु होता है। चालु रास्ता कदीमी रास्ता व सुखाचार के रास्तो में धारा 251क आर. टी.एक्ट लागु नहीं होता। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी ने जो कदीमी रास्ता व सुखाचार के अनुसार रास्ता बताया है वे रास्ता 20 खेतो तक लम्बा जाने वाला रास्ता है। इस बाबत् श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थी सहित 20 व्यक्तियों ने अपने खेतो में कदीमी रास्ते को कटाण घोषित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे साबित है कि उक्त रास्ता कदीमी रास्ता, सुखाचार के तहत रास्ता है जो तहसीलदार जायल के मार्फत श्रीमान के समक्ष पेश होना चाहिऐ। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने आगे बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त कदीमी व सुखाचार के तहत आये हुये रास्ते को अप्रार्थी द्वारा बंद करने व प्रार्थी को जाने से मना करने का कही भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार प्रार्थी व अन्य 20 काश्तकारो ने उक्त कदीमी रास्ता व सुखाचार के तहत आये हुये रास्ते को कटाणी रास्ता घोषित करवाने हेतु आवेदन कर रखा है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से ली जाना आवश्यक है जिससे वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। वकील अप्रार्थी ने अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीण नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट खारिज किया जावे।

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट दिनांक 28.12.2017 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वय के खातेदारी खेत खसरा नं. 252 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 251 के मध्य में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में खातेदार कृषक की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता दिये का प्रावधान है। उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 251 में से ही खेत की दक्षिणी माठ पर से कदीमी रास्ता उपलब्ध है तथा वर्तमान में चालू भी है। तथा ना ही अप्रार्थी ने उक्त चालू रास्ते को बंद किया है। अतः हमारी राय में प्रार्थी

09/02/2021

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क की मंशानुरूप सम्पुष्ट नहीं होता है।

अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खेत खसरा नं. 252 गलत तथ्यों एवं तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने, वैकल्पिक रास्ता का अभाव एवं आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज योग्य समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् प्रार्थी द्वारा ग्राम झाड़ेली तहसील जायल के खसरा नं. 251 में से 20 चौड़ाई का रास्ता हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र तकनीकी आधार पर त्रुटीपूर्ण होने तथा वैकल्पिक रास्ते का अभाव एवं आत्यान्तिक आवश्यकता प्रार्थी पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं कर पाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

09/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल